



The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2019

Act 6 of 2019

Keyword(s):  
Land Reforms, Ceiling Area, Acquisition

**DISCLAIMER:** This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

6 फाल्गुन 1940 (श0)  
(सं0 पटना 279) पटना, सोमवार, 25 फरवरी 2019

---

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

25 फरवरी 2019

सं० एल0जी0-01-15/2018/1569/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 फरवरी, 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

## [बिहार अधिनियम 6, 2019]

बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019  
बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961  
(बिहार अधिनियम 12, 1962) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**—(1) यह अधिनियम बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **अधिनियम, 1961 की धारा-16 में संशोधन।**—(1) उक्त अधिनियम की धारा-16 की उप धारा—(3) एतद्द्वारा निरसित की जाती है।

(2) उक्त अधिनियम की धारा-16 में निम्नलिखित नई उप धारा—(4) जोड़ी जायेगी:-

“(4)(i) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा—(3) के निरसन के पश्चात्, राज्य सरकार, राजस्व पर्षद, बिहार भूमि न्यायाधिकरण, प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्ता, अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता अथवा किसी अन्य न्यायालय में लंबित सभी मामलों अथवा कार्यवाही उपशमित समझी जायेगी।

(ii) इस अधिनियम की धारा-16 की उप धारा—(3) के निरसन के अनुशरण में पहले वैधरूप से जमा की गई क्रय राशि, उसके 10% के समतुल्य राशि के साथ, जमाकर्ता को बिना सूद के लौटा दी जायेगी।”

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

25 फरवरी 2019

सं० एल०जी०-01-15/2018/1570/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 फरवरी 2019 को अनुमत बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) (संशोधन) अधिनियम, 2019 (बिहार अधिनियम 6, 2019) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
जितेन्द्र कुमार,  
सरकार के विशेष सचिव।

## [Bihar Act 6, 2019]

**The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land)  
(Amendment) Act, 2019**

**AN  
ACT**

To amend The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) Act, 1961 (Bihar Act 12 of 1962)

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventieth year of the Republic of India as follows:-

1. **Short title, Extent and Commencement.**—(1) This Act may be called The Bihar Land Reforms (Fixation of Ceiling Area and Acquisition of Surplus Land) (Amendment) Act, 2019.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force immediately.

2. **Amendment in Section-16 of the Act, 1961.**—(1) Sub section (3) of Section-16 of the said Act is hereby repealed.

(2) In the Section-16 of the said Act, the following new sub section-(4) shall be added:-

“(4)(i) After the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, all cases or proceedings pending before the State Government, the Board of Revenue,

the Bihar Land Tribunal, the Divisional Commissioner, the Collector, the Additional Collector, the Deputy Collector Land Reforms or in any other Court, shall be deemed to be abated.

- (ii) Pursuant to the repeal of sub section-(3) of Section-16 of this Act, any purchase money together with a sum equal to 10% thereof, already legally deposited shall be refunded, without any interest, to the depositor."

By Order of the Governor of Bihar,  
*Jitendra Kumar,*  
*Special Secretary to the Government.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 279-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>